



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर जानबूझकर चोट पहुंचाने व एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹ 9,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिवार में पंजीकृत मु0अ0सं0- 590/2009 धारा- 325,323,504 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससीएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1.बालमुकुन्द पुत्र राजाराम यादव निवासी ग्राम-उपरी सायर, थाना बिवार, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹ 9,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
श्री विजय सिंह



विवेचक-
सीओ श्री ए0के0
सिंह



पैरोकार-थाना बिवार
का0 श्रीकान्त राजपूत